बर की आयकर-मुक्त प्रारक्षित रकम रखने तथा (ii) विकासशील देशों में अधिक मात्रा में गैर-सरकारी पूंजी लगाने की सुविधा देने के लिए व्यापार संबंधी कर में कमी करने की व्यवस्था है। यह विधेयक अभी पश्चिमी जर्मनी की संसद के विचाराधीन हैं। इस विधेयक का पूरा ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की मंजूरी

*523. श्री सूरज भान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल विहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन एक वर्ष से अधिक समय से मंजूर नहीं हुई है ;

(ख) क्या पेंशनों के भुगतान तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में पेंशनरों की कठिनाइयों की ओर विशेष ध्यान देने तथा उन्हें शीघ्र दूर करने के लिए कोई विभाग (ब्यूरो) स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) पेंशने स्थानीय सरकारों की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों, तथा विभागाध्यक्षों द्वारा अथवा उन अधिकारियों द्वारा मंजूर की जाती हैं जो सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा खाली किये गये पदों को भरने का अधिकार रखते हों। इसलिये आज तक की सूचना केन्द्रीय तौर से उपलब्ध नहीं है। परन्तु कुछ समय पहले इकट्ठी की गयी सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि 31 मई 1968 को एक साल से भी अधिक समय से अंतिम निपटान के लिए पेंशनों के 2328 मामले बाकी पड़े थे।

(ख) और (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु पेंशन मंजूर करने में आने वाली कार्य-विधि सम्बन्धी तथा अन्य कठिनाइयों को दूर करने के प्रश्न की बराबर जांच होती रहती है और समय समय पर सुधार किये हैं तथा किये जा रहे हैं।

Rescheduling of Foreign Debts

*524. SHRI INDRAJIT GUPTA :
SHRI C. JANARDHANAN :
DR. RANEN SEN :
SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI D. C. SHARMA :
SHRI BENI SHANKAR SHARMA :
SHRI P. K. DEO :
SHRI K. M. KOUSHIK :
SHRI D. N. DEB :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether India's request for re-scheduling of foreign debts has further been considered by the Aid India Consortium countries ;

(b) if so, the decision taken by these countries ; and

(c) the specific features of the schedule of repayment now drawn by Government ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). Aid in the form of debt relief was discussed at the Aid India Consortim Meeting held in May, 1968. The members of the Consortium agreed to provide debt relief amounting to approximately $100 Million for 1968-69 and to consider favourably a similar amount of debt relief for the following two years. The Aid India Consortium have not, so far, further considered the matter.

The commitments of debt relief for 1968-69, so far, amount to $101.41 million. A statement showing the shares of the members of the Consortium, forms and terms of payment of debt relief is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-369/69.]